

प्रारूप-3

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक हारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति ~~स्टेटक्यूट~~ के ~~न्यूलास्टर्क~~ से ~~तिकोने~~ ऑटर आउट का नक्शा

(i) राज्य / संघराज्यक्षेत्र ~~स्टेटल्वाल्यूट~~

(ii) जिला ~~ज़ाल्फ़ाइ~~

(iii) जिला वन प्रभाग ~~ज़ाल्फ़ाइ वन प्रभाग ज़ाल्फ़ाइ~~

(iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र 1.925 हेक्टर

17. पूर्वक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्तिः ~~ज्ञानक्षित, रेखिल ऐक वन पंचायत ब्रह्म~~

18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का व्यौरा: ~~चीड़ बृक्ष~~

(i) वन का प्रकार ~~ज़ापन फैरूज~~

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व 3

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित चूक्षों की परिणामना ~~खेलन है~~

(iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा - ~~कोई नहीं~~

19. भूक्षरण के लिए पूर्वक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी ~~भूक्षरण की (ज़ापन) ज़ी~~

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी: ~~अन्दर~~

21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता: ~~विशेष नहीं~~

(i) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का व्यौरा ~~बन्दर, लोभी ज़ाप्टि~~

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की ओर टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) ~~नहीं~~

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) ~~नहीं~~

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) ~~नहीं~~

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे ~~नहीं~~,

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) के साथ उसका व्यौरा दें) ~~नहीं~~

23. पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें: ~~विस्तार किंवदं जाने पर बृक्षक से प्रस्तुत किया जाना है। वर्तमान की विस्तार की जानकारी नहीं,~~

(i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। ~~अप्रभावी रूप से वन अन्नलम्बन का अस्तित्व है।~~